मानसिक विकलांगता अधिनियम (मेन्टल डिसेबिलिटीज़ एक्ट), १९९९ के अंतर्गत स्वलीनता (ऑटिज़्म), मस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मंदता (मेन्टल रिटार्डेशन) और बहु–अपंगताओं (मल्टीपल डिसेबिलिटीज़) वाले व्यक्तियों का खाता खोलना.

हम कोटक महिन्द्रा बैंक में स्वलीनता (ऑटिज़्म), मस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मंदता (मेन्टल रिटार्डेशन) और बहु–अपंगताओं (मल्टीपल डिसेबिलिटीज़) से पीड़ित व्यक्तियों का खाता खोलते हैं.

यह खाता वैधानिक संरक्षक द्वारा वैधानिक संरक्षक प्रमाणपत्र के आधार पर खोला जा सकता है. यह प्रमाणपत्र या तो मेन्टल हेल्थ एक्ट,१९८७ के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा या नेशनल ट्रस्ट फ़ोर द पर्सन्स विथ ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट १९९९ के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किया गया हो.

ऐसे खाते खोलने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र हेतु वैधानिक संरक्षक, स्थानीय स्तर समितियों (लोकल लेवल कमेटियों) से संपर्क कर सकते हैं. स्थानीय स्तर समिति (लोकल लेवल कमेटी) का पता शाखा अधिकारी से लिया जा सकता है या फिर इसे नेशनल ट्रस्ट की निम्नलिखित वेबसाइट www.thenationaltrust.in से भी प्राप्त किया जा सकता है.

यदि खाताधारक इस बात की पुष्टि करता/करती है कि वह अपने आर्थिक विषयों की सार–संभाल स्वयं करने में सक्षम है या कर सकता/सकती है तो ऐसे व्यक्तियों के खाते खोलने/संचालित करने के लिए किसी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र की अनिवार्यता नहीं है।

इस प्रकार के खाते खोलने/संचालित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए शाखा अधिकारियों से संपर्क करें.